झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि विभाग)

जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज

संयुक्त जिला कृषि भवन,
(कृषि फार्म परिसर)
साहेबगंज 816109

E_mail ID-atmasahibganj@rediffmail.com

पत्रांक.....1349...../ साहेबगंज,दिनांक.....11/09/2024...../

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
NIC, साहेबगंज।

विषयः– एग्री क्लीनिक की स्थापना के संबंध में इच्छा की अभिव्यक्ति **(EOI)** आमंत्रण सूचना **NIC**, साहेबगंज के **website** में जारी करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि एग्री क्लीनिक की स्थापना से संबंधित इच्छा की अभिव्यक्ति **(EOI)** आमंत्रित करने संबंधित सूचना **NIC**, साहेबगंज के **website** में जारी करने हेतु सामग्री इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि इच्छा की अभिव्यक्ति **(EOI)** आमंत्रण सूचना **NIC**, साहेबगंज के **website** में जारी करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त, 06 (छः) पन्नों में।

विश्वासभाजन

11/09/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

झारखण्ड सरकार,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग),

कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI)

वित्तीय वर्ष **2024-25** में राज्य योजनान्तर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना अन्तर्गत **एग्री क्लीनिक** उपयोजना के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। साहेबगंज जिले के लिए अनुमण्डल स्तर पर दो एग्री क्लीनिक के स्थापना की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके लिए **7.00** लाख रूपये प्रति एग्री क्लीनिक का प्रावधान है। साहेबगंज जिला में साहेबगंज सदर एवं राजमहल प्रखण्ड के एटिक सेंटर में प्रति अनुमण्डल एक एग्री क्लीनिक की स्थापना की जानी है। एग्री क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पहुँचाई जाएगी। एग्री क्लीनिक द्वारा **e-Mobile app** के माध्यम से कृषकों को समसामयिक कृषि विषयक सूचनाएँ उनके मोबाईल में भेजा जाएगा। किसानों को एग्री क्लीनिक के **12** सर्विसेस यथा – मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, खाद, बीज, कीटनाशी, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

चयनित संस्था द्वारा तीन सदस्यीय टीम उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें एक कर्मी की न्यूनतम योग्यता **B. Sc (Agri)** तथा अन्य दो कर्मियों का न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर दक्षता **(DCA)** अनिवार्य है। योजना का कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु वैसे इच्छुक महिला समूह/स्वंय सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियाँ/गैर सरकारी संस्थाओं **(NGO)** जिनको कृषि कार्यो में कम से कम तीन वर्षो का अनुभव हो, दिनांक **23.09.2024** के अपराह्न **12:00** बजे तक जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज में आवेदन कर सकते हैं। चयनित संस्थाओं को उपायुक्त, साहेबगंज के साथ एक साल का **MOU** करना होगा। इच्छा की अभिव्यक्ति **(EOI)** की विस्तृत विवरणी **https://sahibganj.nic.in** तथा **www.atmasahibganj.in** पर उपलब्ध है।

11/09/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज

इच्छा की अभिव्यक्ति (EXPRESSION OF INTEREST) हेतु अल्पकालीन सूचना

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि विभाग) के स्वीकृत्यादेश संख्या – **49**, दिनांक **02.08.2024** के आलोक में झारखंड राज्य में एग्री क्लीनिक योजना प्रारम्भ की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं आय में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत साहेबगंज जिला के साहेबगंज सदर एवं राजमहल प्रखण्ड के एटिक सेंटर में अनुमण्डल स्तर पर एग्री क्लीनिक की स्थापना किया जाना है, जिसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ कार्ड, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संबंद्ध अन्य विषयों पर किसानों को परामर्श उपलब्ध कराया जाना है।

एग्री क्लीनिक केन्द्र में उपलब्ध कराये जानेवाले सुविधाओं से संबंधित विवरण :–

क्र0	उपलब्ध सेवा	कृषक के द्वारा की जाने वाली कारवाई	एग्री क्लीनिक सेंटर द्वारा की जानेवाली कारवाई	अभ्युक्ति
1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	खेत का स्पष्ट विवरण के साथ आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	कृषक के आवेदन पत्र की पावती कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
2	किसान क्रेडिट कार्ड	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा समर्पित KCC आवेदन को जाँचोपरान्त सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी।	कृषक के आवेदन पत्र की पावती कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
3	बीज खाद कीटनाशी	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक की मांग के अनुसार/खाद/ बीज के लिए तद्नुसार टोकन संबंधित लैम्पस/पैक्स को निर्गत किया जायेगा। टोकन पर राज्य सरकार द्वारा बीज पर दिये जानेवाले अनुदान के आधार पर दर का स्पष्ट उल्लेख रहेगा।	खाद/बीज कृषक के कृषि योग्य भूमि के आनुपातिक दिये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
4	सूक्ष्म सिंचाई	ऑनलाइन आवेदन	सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा Jharkhand pdmc.com के साइट पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होगी।	ऑनलाइन आवेदन की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
5	कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति	ऑनलाइन आवेदन	सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरान्त कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।

6	कृषि उपकरण	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	कृषकों के माँग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी एवं संबंधित स्वयं सहायता समूह जहाँ कृषि उपकरण उपलब्ध होगा से कृषि उपकरण उपलब्ध कराने हेतु टोकन निर्गत किया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
7	खेती हेतु सलाह	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	मौसम की भविष्यवाणी एवं तद्नुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
8	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र को जॉचोपरान्त संबंधित बीमा कम्पनी को स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी एवं स्वीकृति के उपरान्त इस आशय की सूचना कृषकों को दी जायेगी।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
9	सिंचाई सुविधा	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरान्त सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का गहरीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण, डीपबोरिंग, बिरसा पक्का चेकडैम, परकोलेशेन टैंक, सौर ऊर्जा संचालित पम्प सेट में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमि संरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरान्त इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
10	कृषि/पशुपालन/ डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/नई योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएँ/विभिन्न कृषि मेला/प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित सूचनाएँ आदि कृषकों की माँग पर उपलब्ध करायी जाऐगी।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
11	पशुपालन/डेयरी /मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एव स्वीकृति उपरान्त इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
12	कृषि उत्पादों का दैनिक दर संबंधी विवरण का प्रदर्शन	–	राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्री क्लीनिक के सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जायेगा।	–

एग्री क्लीनिक की कार्य प्रणाली –

1. एग्री क्लीनिक प्रतिदिन **8** घंटे कृषकों को सेवा उपलब्ध करायेगी। एग्री क्लीनिक की कार्य अवधि प्रतिदिन **9:00** बजे पूर्वाहन् से **5:00** बजे अपराह्न तक की होगी। कृषकों के आगमन के उपरान्त उनके आवश्यकता के अनुरूप ऊपर दिये गए तालिका के अनुसार आवेदन पत्र हेतु प्रपत्र/लेखन सामग्री सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त आवेदन को एग्री क्लीनिक में जमा करने के पश्चात पावती रसीद कृषकों को दी जाएगी एवं ऊपर दिये गए विवरणी के अनुसार कारवाई की जायेगी। इस संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा जिसमें एग्री क्लीनिक में आनेवाले कृषकों की पूरी जानकारी उद्देश्य एवं कृत कार्रवाई संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

2. एग्री क्लीनिक में मिनी स्वॉयल टेस्टींग लैब के साथ–साथ अन्य आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

पात्रता मापदंड –

1. इच्छुक संस्था/एजेंसी संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए और **01.01.2024** तक **03** वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में होनी चाहिए।
2. पिछले **03** वर्षों का लेखा रिकार्ड लेखा परीक्षित होना चाहिए।
3. इच्छुक संस्था/एजेंसी को एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत किए जानेवाले कार्यों/कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. संबंधित संस्था को एग्री क्लीनिक सेंटर चलाने के लिए पर्याप्त मानव बल/विशेषज्ञ होना अनिवार्य है।

तकनीकी प्रस्ताव –

1. इच्छुक संस्था को पिछले **03** वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।
2. संबंधित संस्था को सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था द्वारा **Black Listed** नहीं किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र नोटरी से शपथ पत्र/हलफनामा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. इच्छुक संस्था को **15,000/-** रू0 का बैंक ड्राफ्ट जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज के नाम सुरक्षित राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. इच्छुक संस्था/एजेंसी का एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत किये जानेवाले कार्यों/कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. संस्था/एजेंसी का पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति।
6. इच्छुक संस्था/एजेंसी का संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र एवं Byelaws.
7. एग्री क्लीनिक दल की संरचना हेतु योग्यता, विशेषज्ञ और क्षमता सहित कर्मियों की सूची।

वित्तीय व्यवस्था –

1. प्रति एग्री क्लीनिक सेंटर के लिए अधिकतम **7.00** लाख रूपये आवंटित हैं।

दल की संरचना (Team Composition) –

1. एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जायेगा, उसमें कुल तीन सदस्य होंगे, जिसमें एक कर्मी की न्यूनतम योग्यता **B.Sc. (Agri)** तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर दक्षता (न्यूनतम **DCA**) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इनकी कार्य–अवधि सुबह **9:00** बजे से शाम **5:00** बजे होगी। रविवार एवं **N.I. Act** के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बंद रहेगा।

2. एग्री क्लीनिक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के साथ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष, जनसेवक आदि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, गव्य, भूमि संरक्षण के पदाधिकारी/कर्मचारी भी सेंटर पर रोस्टर के अनुसार सुबह **9:00** बजे से शाम **5:00** बजे तक उपस्थित रह कर कार्य सम्पादन में सहयोग करेंगे।

एग्री क्लीनिक के कार्य –

- कृषक के खेत से मिट्टी नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वॉयल टेस्टिंग लैब में जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित **KCC** आवेदन को जाँचोपरान्त सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी।
- कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा **jharkhandpdmc.com** के साइट पर ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर **SMS** के माध्यम से उपलब्ध होगी।
- सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरान्त कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- कृषक की माँग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- मौसम की भविष्यवाणी एवं तद्नुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
- सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरान्त सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का गहरीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण, डीपबोरिंग, बिरसा पक्का चेकडैम, परकोलेशेन टैंक, सौर ऊर्जा संचालित पम्प सेट में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमिसंरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरान्त इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे।
- कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/नई योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएँ/विभिन्न कृषि मेला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाएँ कृषकों को उपलब्ध कराना/जागरूक करना।
- पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एवं स्वीकृति उपरान्त इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्री क्लीनिक के सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

नोट –

- कार्य स्थल – साहेबगंज एवं राजमहल अनुमण्डल के प्रखण्ड मुख्यालय स्थित एटिक सेंटर।
- चयनित एजेंसी/संस्था के साथ एक वर्ष के लिए **MOU** किया जायेगा।
- चयन कमिटी इस इच्छा की अभिव्यक्ति को किसी भी स्तर पर रद्द करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालीय क्षेत्र साहेबगंज होगा।
- चयनित संस्था को छोड़कर शेष सभी फर्मो का **EMD** की राशि का **Bank Draft** वापस कर दी जाएगी।
- एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसियों/संस्थाओ के द्वारा किया जायेगा, जिसमें महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियॉ/गैर सरकारी संस्थायें **(NGOs)** भी हो सकते हैं।

- इच्छुक एजेंसी/संस्था अपना आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज के नाम से दिनांक 23.09.2024 के अपराह्न 12:00 बजे तक जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज, संयुक्त जिला कृषि भवन, बोरियो रोड, साहेबगंज में जमा कर सकते हैं। आवेदन द्विलिफाफा पद्धति में डालेंगे। एक लिफाफा में तकनीकी प्रस्ताव एवं दूसरे लिफाफा में वित्तीय प्रस्ताव समर्पित करेंगे।

11/09/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।